मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 13/2017 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1– मांगीलाल पिता शिव लाल गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
2– अम्बालाल पिता शिवलाल गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
3– कनीबाई बेवा शिवलाल गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
4– रंजना पुत्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
5– सोसर बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
6– हीरा लाल पिता गिरधारी गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी

––वादीगण

बनाम

1– गंगाराम पिता वरदा खटीक निवासी बानकीया की भागल तहसील बडीसादड़ी
2– प्यारा पिता वरदा खटीक निवासी बानकीया की भागल तहसील बडीसादडी
3– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री विजयसिंह राठौड़ तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बानकिया पटवार हल्का खेरमालिया की उक्त प्रकरण संख्या से संबंधित वादग्रस्त आराजीयात का दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे....X.... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित....X..... को दी जावे।
यह आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 13/2017 ई.रे.

1– मांगीलाल पिता शिव लाल गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
2– अम्बालाल पिता शिवलाल गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
3– कनीबाई बेवा शिवलाल गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
4– रंजना पुत्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
5– सोसर बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी
6– हीरा लाल पिता गिरधारी गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादडी

––वादीगण

बनाम

1– गंगाराम पिता वरदा खटीक निवासी बानकीया की भागल तहसील बडीसादड़ी
2– प्यारा पिता वरदा खटीक निवासी बानकीया की भागल तहसील बडीसादडी
3– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 23/12/2025

वादीगण की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1– ग्राम बानकिया तहसील बडीसादडी में सम्वत् 2071 से 2074 की जमाबंदी के अनुसार खतोनी संख्या 24 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 0.22 है लगानी रू 1.54 स्थित है। इस आराजी का पुराना नम्बर 317/2 था। इस आराजी को वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

2– उक्त वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011 मे मिती सावण बुदी 2 दिनांक 17.07.1954 को कजोड़ पिता लक्ष्मण खटीक निवासी बानकिया की भागल के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। खातेदार कजोड़ पिता लक्ष्मण खटीक ने अपनी खातेदारी व आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी की विकय शिवलाल श्रीलाल तथा हीरालाल पिता गिरधारी गुर्जर निवासी खेरमालिया तहसील बडीसादड़ी के पक्ष में दिनांक 17.07.1954 को बिलएवज रू. 100– में करते हुए आराजी का कब्जा केतागण शिवलाल श्रीलाल तथा हीरालाल को सुपुर्द कर दिया तब से केतागण आराजी पर बाहेसियत मालिक काबिज होकर आराजी का निरन्तर उपयोग उपभोग करने लगे। विकेता कजोड़ पिता लक्ष्मण खटीक ने आराजी का विकय केतागण के पक्ष में करने बाबत् केतागण की बही में साक्षीगण की उपस्थिति में एक लिखमत भी निष्पादित करवा कर अपनी [illegible] कर दी थी ।

3– विकेता कजोड पिता लक्ष्मण के द्वारा पूर्व में दिनांक 17.07.1954 को वादग्रस्त आराजी का विकय केतागण शिवलाल श्रीलाल तथा हीरालाल के पक्ष में किये जाने को [illegible] व साबित करते हुए पुनः दिनांक 11.05. 1971 सम्वत् 2036 मिती वेशाख सुदी [illegible] को एक [illegible]कावनामा सटाम्प के उपर साक्षीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

उपस्थिति में निष्पादित करवा कर तथा यथा स्थान अपनी अंगुठा निशानी लगाते हुए एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर करवा कर केतागण को सुपुर्द कर दिया।

4— विकेता कजोड की आज से करीब 25—26 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी। मृतक विकेता कजोड के कोई सन्तान जीवित नही थी। लेकिन प्रतिवादीगण ने हल्का पटवारी से साठ गांठ करते हुए मृतक कजोड को अपना पिता बताते हुए वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 11.09.2009 को अपने नाम पर स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दुर्भावनावश गलत रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण गंगाराम व प्यारा के नाम दर्ज होने से प्रकरण में दोनों को प्रतिवादी बनाये गये है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण कमांक 1 व 2 के नाम दर्ज होने की जानकारी वादीगण को आज से करीब 1 माह पूर्व हुई जिस पर वादीगण के द्वारा राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपियां प्राप्त की गई तो प्रतिवादीगण का फर्जीवाड़ा सामने आया।

5— केतागण में से केता शिवलाल पिता गिरधारी की भा आज से करीब 5—6 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी। मृतक शिवलाल के दो पुत्र मांगीलाल व अम्बालाल जीवित है तथा एक पुत्र लक्ष्मीनारायण था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। लक्ष्मीनारायण के उत्ताधिकारी वादीगण रंजना तथा सोसरबाई है। रंजना लक्ष्मीनारायण की पुत्री है तथा सोसर बाई लक्ष्मीनारायण की विधवा है। वादीया कनीबाई मृतक शिवलाल की विधवा है।

6— वादग्रस्त आराजी का कय विकय दिनांक 17.07.1954 को हुआ एवं तब तक राजस्थान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावित नहीं हुआ था। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का आधिपत्य दिनांक 17.07.1954 से निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है तथा विकेता कजोड की मृत्यु के पश्चात भी वादग्रस्त आराजी के किसी भी खातेदार के द्वारा कभी भी कोई आपत्ती नही उठाई गई जबकि प्रतिवादीगण को यह भली भांती प्रारम्भ से ही जानकारी में है कि वादग्रस्त आराजी का कय वादीगण के द्वारा किया जाकर आधिपत्य प्राप्त किया गया है। इस प्रकार वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 63(4) के प्रावधानों के अनुसार 12 वर्षो से अधिक अवधी का कब्जा है तथा वादीगण वादग्रस्त आराजी के एडवर्स पजेशन के आधार पर आराजी के खातेदार काश्तकार हो चुके है इसलिये आराजी की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

7— वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण कमांक 1 व 2 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी का खुद बुद करने पर आमादा है तथा वादीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकियां देते है जबकि प्रतिवादीगण स्वयं के द्वारा अवैध रूप से आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया गया है। राजस्व रिकार्ड में अपना दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर दी गई तो वादीगण को अकुत हानी होगी तथा व्यर्थ की मुकदमें बाजी बढेगी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाया जाना न्यायोचित है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड तथा मौके की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करे और न की करवावे ।

अतः वादीगण के पक्ष में निम्नानुसार डिक्री जारी फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:42 IST
Reason: SelfAttested

क— वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषणा वादीगण के नाम पर कराई जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया जावें।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

ख – प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वादग्रस्त आराजी को रहन विकय दान आदि किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे तथा वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे व न करावें।

ग– अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय वादीगण के पक्ष में उचित समझे वादीगण को प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1, 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी नं. 2 की ओर से श्री आर. एस. झाला अधिवक्ता द्वारा पावर पेश किया गया । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 12.04.2022 के अनुसार वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी । ओर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में हीरलाल, मांगीलाल, नन्दलाल, रामलाल, हरिकिशन के शपथ पत्र पेश हुये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में दो दस्तावेज उपलब्ध है। एक दस्तावेज सन् 1954 का है तथा दूसरा दस्तावेज 1979 का है। 1954 के दस्तावेज पर केवल कजोड़ की अंगूठा निशानी है । कजोड़ के अलावा किसी अन्य साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है । पत्रावली में जो 1979 का दस्तावेज उपलब्ध है। वह 700 रूपये के स्टाम्प पर है। राजस्थान पंजिकृत अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार पंजिकृत होना चाहिए था । जो नहीं है। यदि इसी पंजीकृत माना जाता है। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान भी यहां लागू होते है क्योकि धारा 42 के प्रावधान दिनांक 02.05.1964 से प्रभावी है। अतः दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी • बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) • सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:22:42 IST
Reason: SelfAttested